

## प्रतिवेदन

**परियोजना का नाम:-** माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीनाधौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य ।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में बुँगाछीनाधौनखोला रसैपाटा मोटर मार्ग का की स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या 2724/ 111-(2)/15-05 (एम०एल०ए०)/2015 दिनांक 24/04/2015 द्वारा 3.00 किमी० रु० 207.20 लाख स्वीकृत हुआ है। जिसमें 9.00 मीटर चौड़ाई के अनुसार राज्य भूमि 0.81 है० नाप भूमि 2.295 है० प्रभावित होती है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से धौनखोला मुशागल की कुल जनसंख्या 122 लाभान्वित होगी वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाली 0.81 है० राज्य वन भूमि न्यूनतम है जो उपयुक्त समरेखण है।

वन भूमि में मोटर मार्ग प्रस्तावित करने का औचित्य:-

1. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष राज्य भूमि क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत है। जबकि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कम प्रतिशत ही राज्य भूमि का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है जो कि औचित्य पूर्ण है।
2. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने एवं कास्तकारों के छोटे छोटे भागों में भू-स्वामित्व होने के कारण मोटर मार्ग को सम्पूर्ण ल० में नाप भूमि में बनाया जाना सम्भव नहीं है।
3. इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग को आरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी में सहुलियत होगी।
4. दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण दो से अधिक विकल्पों में विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है दो समरेखणों में सर्वेक्षण करने के पश्चात भू-वैज्ञानिक के रिपोर्ट, मोटर मार्ग की ल० कम होने, अधिक जनसंख्या लाभान्वित होने, वक्षों से कम प्रभावित होने तथा उत्सर्जित मलवे की मात्रा कम होने के कारण एक मात्र यही समरेखण मोटर मार्ग निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त पाया गया।
5. अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तावरण की स्वीकृति उपरान्त मार्ग का कार्य किया जाना सम्भव होगा। जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं। ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके।

सहाय्यक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०निंवि०  
पिथौरागढ़

अधिकारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०निंवि०  
पिथौरागढ़